

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का आधुनिक संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. बृजेश स्वरूप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

शोध सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध “भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का आधुनिक संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन” विषय पर केंद्रित है। अध्ययन का उद्देश्य भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के बदलते स्वरूप, धार्मिक पहचान के राजनीतिकरण, चुनावी लामबंदी, राजनीतिक धुवीकरण तथा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना रहा है। अध्ययन में साम्प्रदायिकता को किसी धर्म अथवा समुदाय की विशेषता के रूप में न देखते हुए धार्मिक पहचान के राजनीतिक उपयोग और उससे संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में समझा गया है। अध्ययन के लिए जनगणना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों, सरकारी दस्तावेजों तथा प्रासंगिक अकादमिक साहित्य का उपयोग किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का स्वरूप प्रत्यक्ष साम्प्रदायिक संघर्ष से आगे बढ़कर चुनावी विमर्श, राजनीतिक लामबंदी, धुवीकरण और डिजिटल संचार तक विस्तृत हुआ है। उपलब्ध आँकड़ों से साम्प्रदायिक घटनाओं में समयानुसार उतार-चढ़ाव दिखाई देता है, किंतु इन्हें स्वतः राजनीतिक साम्प्रदायिकता का प्रत्यक्ष माप नहीं माना जा सकता। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि संविधान, निर्वाचन आयोग तथा अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएँ समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः साम्प्रदायिकता की चुनौती का सामना प्रभावी संस्थागत अनुपालन, जिम्मेदार राजनीतिक संवाद, तथ्यपरक सार्वजनिक विमर्श और संवैधानिक नागरिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: साम्प्रदायिकता, भारतीय राजनीति, धार्मिक पहचान, राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक धुवीकरण, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, निर्वाचन राजनीति।

प्रस्तावना

भारत विश्व के सर्वाधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से विविध समाजों में से एक है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग लंबे समय से साथ रहते आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिन्दू 79.8 प्रतिशत, मुस्लिम 14.2 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिख 1.7 प्रतिशत, बौद्ध 0.7 प्रतिशत और जैन 0.4 प्रतिशत थे। जनगणना का आधिकारिक धार्मिक-वर्गीकरण इन छह प्रमुख धार्मिक समुदायों के साथ अन्य धर्मों तथा ‘धर्म नहीं बताया’ श्रेणी को भी सम्मिलित करता है। यह धार्मिक विविधता भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक नीतियाँ इसी बहुल सामाजिक संरचना के बीच संचालित होती हैं। भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति का संबंध औपनिवेशिक काल से ही जटिल रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान

जनगणना, सामुदायिक प्रतिनिधित्व तथा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल जैसी व्यवस्थाओं ने धार्मिक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृथक इकाइयों के रूप में संगठित करने में भूमिका निभाई। आगे चलकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बना और 1947 का विभाजन इस राजनीतिक प्रक्रिया की सबसे गंभीर ऐतिहासिक परिणतियों में से एक रहा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने नागरिकों की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक शासन को आधार प्रदान किया। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, जबकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।

स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिकता का स्वरूप समय के साथ सामाजिक विभाजन से आगे बढ़कर **राजनीतिक पहचान, हितों और लामबंदी** से जुड़ा है। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में जब धार्मिक पहचान को मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने, सामाजिक समूहों को संगठित करने अथवा राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब साम्प्रदायिकता का राजनीतिक आयाम स्पष्ट होता है। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आयोग स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव में **जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर मत प्राप्त करने की अपील** करने से रोकता है तथा ऐसी गतिविधियों से बचने का निर्देश देता है जो विभिन्न धार्मिक या सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य अथवा तनाव बढ़ा सकती हैं।

आधुनिक संदर्भ में साम्प्रदायिकता का अध्ययन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय राजनीति में चुनावी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ राजनीतिक भाषण, मीडिया और डिजिटल संचार के माध्यमों ने राजनीतिक लामबंदी के स्वरूप को व्यापक बनाया है। साम्प्रदायिक राजनीति को केवल साम्प्रदायिक हिंसा अथवा दंगों की संख्या से समझना पर्याप्त नहीं होगा; इसके लिए **चुनावी विमर्श, राजनीतिक दलों की रणनीति, धार्मिक पहचान की राजनीतिक अभिव्यक्ति, मतदाता लामबंदी, राजनीतिक धुवीकरण तथा राज्य और निर्वाचन संस्थाओं की प्रतिक्रिया** का समग्र अध्ययन आवश्यक है। इसी कारण इस शोध में उपलब्ध सरकारी आँकड़ों, निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों, संवैधानिक प्रावधानों तथा प्रमाणित राजनीतिक घटनाओं को विश्लेषण का आधार बनाया जाना प्रस्तावित है।

शोध की आवश्यकता

समकालीन भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान का राजनीतिक उपयोग, चुनावी धुवीकरण, साम्प्रदायिक तनाव तथा डिजिटल माध्यमों से राजनीतिक संदेशों के प्रसार ने साम्प्रदायिकता को केवल सामाजिक समस्या न रखकर **राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय** बना दिया है। इसलिए वास्तविक सरकारी आँकड़ों, चुनावी नियमों और राजनीतिक घटनाओं के आधार पर इसका विश्लेषण आवश्यक है।

शोध का महत्व

यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, चुनावी राजनीति, राजनीतिक दलों तथा राज्य-संस्थाओं के बीच संबंध को समझने में सहायक हुआ है। साथ ही, यह साम्प्रदायिकता के संबंध में भावनात्मक या सामान्यीकृत निष्कर्षों के स्थान पर **तथ्य एवं राजनीतिक विश्लेषण** प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शोध समस्या

“आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता किस प्रकार राजनीतिक लामबंदी, चुनावी प्रतिस्पर्धा और सामाजिक-राजनीतिक धुवीकरण को प्रभावित करती है तथा इसका भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?”

शोध के उद्देश्य

1. भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता की अवधारणा एवं राजनीतिक स्वरूप का अध्ययन करना।
2. स्वतंत्रता के बाद साम्प्रदायिक राजनीति के विकास एवं परिवर्तन का विश्लेषण करना।
3. आधुनिक चुनावी राजनीति में साम्प्रदायिक लामबंदी की भूमिका का अध्ययन करना।
4. साम्प्रदायिकता और राजनीतिक धुवीकरण के संबंध का विश्लेषण करना।
5. साम्प्रदायिकता के लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करना।
6. सरकारी आँकड़ों एवं उपलब्ध राजनीतिक घटनाओं के आधार पर समकालीन स्थिति का विश्लेषण करना।

शोध प्रश्न

1. भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का आधुनिक स्वरूप क्या है?
2. साम्प्रदायिकता चुनावी राजनीति एवं राजनीतिक लामबंदी को किस प्रकार प्रभावित करती है?
3. साम्प्रदायिक धुवीकरण और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच क्या संबंध दिखाई देता है?
4. भारतीय संविधान एवं निर्वाचन व्यवस्था साम्प्रदायिक राजनीतिक अपीलों को नियंत्रित करने के लिए कौन-से प्रावधान प्रदान करती हैं?
5. आधुनिक साम्प्रदायिक राजनीति का भारतीय लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

निर्वाचन आयोग के अनुसार धर्म, जाति, समुदाय आदि के आधार पर मत प्राप्त करने की अपील चुनावी भ्रष्ट आचरण के दायरे में आती है और आदर्श आचार संहिता भी साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट माँगने से रोकती है।

प्राक्कल्पना

“आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता राजनीतिक लामबंदी और धुवीकरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, जिसका प्रभाव चुनावी प्रतिस्पर्धा, सामाजिक संबंधों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में परिलक्षित होता है।”

शोध-पद्धति

- शोध का स्वरूप: वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक।
- दृष्टिकोण: गुणात्मक एवं आवश्यकतानुसार मात्रात्मक।
- अध्ययन की प्रकृति: ऐतिहासिक एवं समकालीन।
- प्राथमिक स्रोत: संविधान, निर्वाचन आयोग के दस्तावेज, कानून, न्यायिक निर्णय तथा सरकारी रिपोर्टें।
- द्वितीयक स्रोत: शोध-पत्र, पुस्तकें, शोध-प्रबंध, विद्वानों के अध्ययन एवं विश्वसनीय अकादमिक सामग्री।
- आँकड़ा विश्लेषण: सरकारी आँकड़ों का तुलनात्मक एवं प्रवृत्ति-आधारित विश्लेषण।

- **अध्ययन अवधि:** 2000 से 2020 तक, ताकि आधुनिक भारतीय राजनीति में दीर्घकालीन परिवर्तन और वर्तमान संदर्भ दोनों को शामिल किया जा सके।
- **विश्लेषण की इकाई:** चुनावी राजनीति, राजनीतिक दल, राजनीतिक भाषण/प्रचार, साम्प्रदायिक घटनाएँ तथा संस्थागत प्रतिक्रियाएँ।

साम्प्रदायिकता : अवधारणा एवं सैद्धान्तिक आधार

1. साम्प्रदायिकता की संकल्पना

साम्प्रदायिकता को सामान्यतः ऐसी राजनीतिक-सामाजिक प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता है जिसमें धार्मिक समुदाय की पहचान को राजनीतिक हितों, प्रतिनिधित्व और सामूहिक लामबंदी का आधार बनाया जाता है। भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में धार्मिक पहचान अपने आप में साम्प्रदायिकता नहीं है; समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी धार्मिक समुदाय के हितों को अन्य समुदायों के हितों के विरोध में राजनीतिक रूप से संगठित किया जाता है। इसलिए इस अध्ययन में **धर्म और साम्प्रदायिकता को समानार्थी नहीं माना गया है**। धर्म मुख्यतः आस्था, विश्वास और धार्मिक जीवन से संबंधित है, जबकि साम्प्रदायिकता का संबंध धार्मिक पहचान के राजनीतिक उपयोग से है। भारत की धार्मिक विविधता इस अवधारणा को समझने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। 2011 की जनगणना में छह प्रमुख धार्मिक समुदायों—हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन—के पृथक आँकड़े दर्ज किए गए हैं तथा अन्य धर्मों और 'धर्म नहीं बताया' श्रेणी को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार धार्मिक समुदायों की उपस्थिति स्वयं साम्प्रदायिकता का प्रमाण नहीं है; उसका राजनीतिक रूप तब दिखाई देता है जब धार्मिक पहचान को **राजनीतिक हित, प्रतिनिधित्व, चुनावी समर्थन या राजनीतिक संघर्ष** के साथ जोड़ा जाता है।

साम्प्रदायिक पहचान और राजनीतिक पहचान के बीच भी अंतर करना आवश्यक है। व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसकी व्यापक सामाजिक पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, जबकि राजनीतिक पहचान राजनीतिक मुद्दों, दलों, विचारधाराओं और हितों से निर्मित होती है। जब धार्मिक पहचान राजनीतिक पहचान का प्रमुख आधार बन जाती है और राजनीतिक लामबंदी 'हम' और 'वे' की सामुदायिक संरचना पर आधारित होने लगती है, तब साम्प्रदायिकता का राजनीतिक आयाम स्पष्ट होता है।

2. राजनीतिक साम्प्रदायिकता

राजनीतिक साम्प्रदायिकता का प्रमुख आधार **राजनीतिक लामबंदी** है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और नेता विभिन्न सामाजिक समूहों से समर्थन प्राप्त करते हैं। जब धार्मिक समुदाय की पहचान को मतदाताओं को संगठित करने, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने अथवा चुनावी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह राजनीतिक साम्प्रदायिकता के अध्ययन का विषय बन जाता है। भारत में इसका संस्थागत महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को **जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर मत माँगने** तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचने का निर्देश देती है। इसी प्रकार चुनावी कानून धार्मिक आधार पर चुनावी अपील को नियंत्रित करता है। अतः धार्मिक पहचान का चुनावी उपयोग केवल राजनीतिक व्यवहार का प्रश्न नहीं, बल्कि **निर्वाचन की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा** से भी संबंधित है।

राजनीतिक साम्प्रदायिकता के अध्ययन में **बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक राजनीति** को भी अलग-अलग समझना आवश्यक है। बहुसंख्यकवाद में बहुसंख्यक धार्मिक पहचान को राजनीतिक दावों का प्रमुख आधार बनाया जा सकता है, जबकि अल्पसंख्यक राजनीति में किसी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हित, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व या अधिकारों को राजनीतिक संगठन का आधार बनाया जा सकता है। दोनों स्थितियों का अध्ययन उनके **विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ और प्रमाणित व्यवहार** के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी समुदाय के बारे में सामान्य निष्कर्ष के रूप में। इसी क्रम में **पहचान-आधारित राजनीतिक धुवीकरण** साम्प्रदायिक राजनीति का महत्वपूर्ण पक्ष है। जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नीतिगत या आर्थिक प्रश्नों के साथ-साथ धार्मिक पहचान के आधार पर 'समुदाय बनाम समुदाय' के रूप में प्रस्तुत होने लगे, तो राजनीतिक विभाजन अधिक स्पष्ट हो सकता है। इसलिए साम्प्रदायिकता का विश्लेषण केवल साम्प्रदायिक हिंसा के आँकड़ों से नहीं, बल्कि **चुनावी भाषण, राजनीतिक घोषणापत्र, चुनावी अपील, राजनीतिक लामबंदी और संस्थागत प्रतिक्रियाओं** के साथ जोड़कर किया जाना आवश्यक है।

3. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण

इस अध्ययन के लिए साम्प्रदायिकता को समझने में चार प्रमुख सैद्धान्तिक दृष्टिकोण उपयोगी हैं -

पहला, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत-भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिकता और राज्य द्वारा सभी धार्मिक समुदायों के प्रति संवैधानिक समानता से है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्म और राज्य के संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करते हैं। इसलिए साम्प्रदायिक राजनीति का अध्ययन संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ से अलग करके नहीं किया जा सकता।

दूसरा, पहचान राजनीति का दृष्टिकोण धार्मिक पहचान को राजनीतिक पहचान के निर्माण और सामूहिक राजनीतिक दावों के संदर्भ में देखता है। इस दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार सामाजिक पहचान राजनीतिक हितों और राजनीतिक समर्थन में परिवर्तित होती है।

तीसरा, राजनीतिक लामबंदी का दृष्टिकोण यह विश्लेषण करता है कि राजनीतिक संगठन, नेता और दल किस प्रकार किसी सामाजिक पहचान को राजनीतिक संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसमें चुनाव, राजनीतिक भाषण, संगठन, प्रचार और मतदाता लामबंदी प्रमुख विश्लेषणात्मक तत्व हैं।

चौथा, बहुलतावादी लोकतंत्र का दृष्टिकोण भारतीय समाज की विविधता और विभिन्न समूहों के बीच राजनीतिक सह-अस्तित्व को केंद्र में रखता है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि धार्मिक विविधता लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में किस प्रकार समाहित होती है और किन परिस्थितियों में समूह-आधारित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सहयोग के स्थान पर धुवीकरण का रूप लेती है।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध में साम्प्रदायिकता को **धार्मिक आस्था के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान के राजनीतिकरण की प्रक्रिया** के रूप में विश्लेषित किया जाएगा। इससे अध्ययन का केंद्र राजनीतिक लामबंदी, चुनावी प्रतिस्पर्धा, पहचान-निर्माण, धुवीकरण तथा संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर बना रहेगा।

भारत में साम्प्रदायिक राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भारतीय संविधान

भारत में साम्प्रदायिक राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए औपनिवेशिक शासन की प्रतिनिधित्व-व्यवस्था, पृथक निर्वाचक मंडल, स्वतंत्रता एवं विभाजन तथा स्वतंत्र भारत में निर्मित संवैधानिक व्यवस्था को क्रमिक रूप से देखना आवश्यक है। औपनिवेशिक काल में धार्मिक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पृथक इकाइयों के रूप में संगठित करने वाली व्यवस्थाओं ने राजनीति में सामुदायिक पहचान के महत्व को बढ़ाया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार) के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के सामुदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ और सिखों सहित अन्य समुदायों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाएँ विकसित हुईं। पृथक एवं संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रश्न 1906 के शिमला प्रतिनिधिमंडल से लेकर 1947 तक भारतीय संवैधानिक राजनीति का महत्वपूर्ण विवाद बना रहा।

1932 का साम्प्रदायिक पुरस्कार (Communal Award) इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित इस व्यवस्था ने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों और यूरोपीय समुदायों के पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को बनाए रखा तथा दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल धार्मिक पहचान तक सीमित न रहकर जाति एवं अन्य सामुदायिक पहचानों से भी जुड़ गया। साम्प्रदायिक पुरस्कार के बाद गांधी और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के बीच हुए राजनीतिक समझौते से 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट अस्तित्व में आया, जिसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल में आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार किया।

इन औपनिवेशिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के समानांतर धार्मिक आधार पर राजनीतिक संगठन और प्रतिनिधित्व की माँगें भी विकसित हुईं। परिणामतः धार्मिक पहचान भारतीय राजनीति में केवल सामाजिक पहचान न रहकर प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अधिकार और सत्ता-साझेदारी के प्रश्न से जुड़ती गई। 1940 के दशक की राजनीतिक परिस्थितियों, द्विराष्ट्र सिद्धांत से संबंधित बहसों तथा अंततः 1947 के भारत-विभाजन ने साम्प्रदायिक राजनीति को अत्यंत गंभीर ऐतिहासिक और मानवीय परिणामों से जोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने इस पृष्ठभूमि के विपरीत नागरिकता को किसी एक धर्म पर आधारित करने के बजाय समान नागरिकता, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर आधारित व्यवस्था को अपनाया।

भारतीय संविधान और साम्प्रदायिकता

भारतीय संविधान ने साम्प्रदायिक राजनीति के स्थान पर समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वायत्तता और बहुलतावादी लोकतंत्र को संस्थागत आधार प्रदान किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मूल प्रस्तावना में भारत को “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” कहा गया था; 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए। वर्तमान प्रस्तावना भारत को “सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य” घोषित करती है तथा सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लक्ष्यों को रेखांकित करती है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण

की गारंटी देता है। **अनुच्छेद 15** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि **अनुच्छेद 16** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है। इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों को धार्मिक पहचान के आधार पर असमान बनाने के बजाय समान नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित करती है।

धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में **अनुच्छेद 25 से 28** विशेष महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार **लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा संविधान के अन्य प्रावधानों** के अधीन है। साथ ही, अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य लौकिक गतिविधियों को विनियमित करने तथा सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इसी प्रकार **अनुच्छेद 26** धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है; **अनुच्छेद 27** किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए विशेष रूप से कर देने से संरक्षण प्रदान करता है; तथा **अनुच्छेद 28** राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त **अनुच्छेद 29 और 30** भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण तथा धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और संचालित करने के अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का दृष्टिकोण धार्मिक पहचान को समाप्त करना नहीं, बल्कि **धार्मिक स्वतंत्रता और समान नागरिकता के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करना** है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का अध्ययन करते समय एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता एवं सामुदायिक अधिकारों और दूसरी ओर समानता, गैर-भेदभाव तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संवैधानिक सिद्धांतों को साथ-साथ देखना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध इसी ऐतिहासिक एवं संवैधानिक पृष्ठभूमि के आधार पर आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता के राजनीतिक स्वरूप का विश्लेषण करेगा।

आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का राजनीतिक स्वरूप

आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का स्वरूप केवल साम्प्रदायिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह **चुनावी लामबंदी, राजनीतिक भाषण, दलगत रणनीति, सामाजिक गठबंधन, पहचान-निर्माण और डिजिटल राजनीतिक संचार** से भी संबंधित है। इसलिए इसके अध्ययन में राजनीतिक घटनाओं और आधिकारिक आँकड़ों के बीच स्पष्ट अंतर रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, NCRB के आँकड़े पुलिस में दर्ज मामलों पर आधारित होते हैं और एक ही साम्प्रदायिक घटना से संबंधित एक से अधिक प्राथमिकी होने पर संख्या प्रभावित हो सकती है। गृह मंत्रालय ने स्वयं संसद में इस अंतर को स्पष्ट किया था -

1. चुनावी राजनीति और साम्प्रदायिक लामबंदी

भारतीय चुनावी राजनीति में धार्मिक पहचान का प्रयोग एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विषय है। लोकतांत्रिक चुनावों में राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने पक्ष में संगठित करते हैं; जब धार्मिक पहचान को राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने या मतदाताओं को लामबंद करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब उसका साम्प्रदायिक राजनीतिक आयाम सामने आता है। इसे केवल धार्मिक मुद्दों की उपस्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि **राजनीतिक भाषण, चुनावी अपील, प्रचार सामग्री और संबंधित संस्थागत कार्रवाई** के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार

संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को जाति अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट माँगने तथा विभिन्न समुदायों के बीच घृणा या तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से रोकती है। धार्मिक स्थलों को चुनावी प्रचार का मंच बनाने से भी मना किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने विभिन्न नेताओं एवं राजनीतिक दलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े नोटिस और निर्देश भी जारी किए, जिससे चुनावी भाषण और राजनीतिक प्रचार के नियमन की संस्थागत भूमिका स्पष्ट होती है।

साम्प्रदायिक लामबंदी के अनुभवजन्य अध्ययन में साम्प्रदायिक हिंसा के आँकड़े भी सहायक हैं। NCRB के अनुसार 2021 में साम्प्रदायिक/धार्मिक दंगों के 378 मामले और 2022 में 272 मामले दर्ज हुए। 2022 में मध्य प्रदेश में 68, बिहार में 60 और झारखंड में 46 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि इन आँकड़ों को सीधे चुनावी साम्प्रदायिकता का माप नहीं माना जा सकता, क्योंकि दंगों के सामाजिक, स्थानीय, प्रशासनिक और अन्य कारण भी हो सकते हैं।

2. राजनीतिक दल और साम्प्रदायिक राजनीति

भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दल धार्मिक एवं सामुदायिक मुद्दों को अलग-अलग वैचारिक और चुनावी संदर्भों में प्रस्तुत करते रहे हैं। इसलिए साम्प्रदायिक राजनीति के अध्ययन में किसी एक दल को अलग करके देखने के बजाय **दल-दस्तावेजों, चुनावी घोषणापत्रों, भाषणों, प्रचार-अभियानों और चुनावी गठबंधनों का तुलनात्मक विश्लेषण** अधिक उपयुक्त होगा। इस विश्लेषण में तीन पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं—पहला, राजनीतिक दल धार्मिक पहचान को किस प्रकार राजनीतिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हैं; दूसरा, धार्मिक एवं अन्य सामाजिक समूहों के बीच किस प्रकार राजनीतिक गठबंधन बनाए जाते हैं; और तीसरा, निर्वाचन आयोग एवं न्यायपालिका जैसे संस्थान ऐसे राजनीतिक व्यवहार पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। इससे साम्प्रदायिक राजनीति के संबंध में सामान्यीकृत आरोपों के बजाय प्रमाण-आधारित राजनीतिक विश्लेषण संभव होगा।

3. साम्प्रदायिकता और राजनीतिक धुवीकरण

साम्प्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव **धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक धुवीकरण** के रूप में देखा जा सकता है। जब राजनीतिक विमर्श में नीतिगत प्रश्नों के साथ धार्मिक पहचान को भी चुनावी समर्थन का प्रमुख आधार बनाया जाता है, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल सकता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों प्रकार की राजनीतिक लामबंदी को उनके विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ में समझना आवश्यक है। साम्प्रदायिक हिंसा के उपलब्ध आँकड़े इस विषय के अनुभवजन्य अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। NCRB के अनुसार 2019 में 438, 2020 में 857, 2021 में 378 और 2022 में 272 साम्प्रदायिक/धार्मिक दंगों के मामले दर्ज किए गए थे। इन आँकड़ों में वर्ष-दर-वर्ष पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन इनसे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राजनीतिक धुवीकरण में भी उसी अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। इसलिए शोध में इन्हें चुनावी परिणामों, राजनीतिक भाषणों और सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं के साथ संदर्भित करके देखा जाना चाहिए।

4. साम्प्रदायिकता और सामाजिक मीडिया

डिजिटल माध्यमों ने राजनीतिक संचार की गति और पहुँच को व्यापक बनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक भाषण, वीडियो, चित्र, समाचार और उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री तेजी से प्रसारित होती है। इसके सकारात्मक पक्ष में राजनीतिक भागीदारी और सूचना तक पहुँच का विस्तार है, जबकि गलत सूचना, भ्रामक सामग्री और संदर्भ से काटे गए संदेश सामुदायिक तनाव को बढ़ाने की संभावना रखते हैं।

इसी कारण निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में **मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन से निपटने** तथा मीडिया अभियानों के नियमन को अपनी संस्थागत कार्यसूची का हिस्सा बनाया है। इस शोध में सोशल मीडिया को साम्प्रदायिकता का स्वतः कारण मानने के बजाय यह देखा जाएगा कि धार्मिक एवं राजनीतिक संदेश डिजिटल माध्यमों में किस प्रकार निर्मित, प्रसारित और राजनीतिक रूप से ग्रहण किए जाते हैं।

साम्प्रदायिकता और लोकतांत्रिक संस्थाएँ

भारतीय लोकतंत्र में साम्प्रदायिकता और संस्थाओं का संबंध दो स्तरों पर समझा जा सकता है—एक ओर राजनीतिक संस्थाएँ धार्मिक पहचान से संबंधित राजनीतिक दावों को अभिव्यक्ति का अवसर देती हैं, दूसरी ओर संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की सीमाएँ निर्धारित करती हैं जो समानता, स्वतंत्र चुनाव अथवा सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं -

1. संसद एवं विधानसभाएँ

संसद और विधानसभाएँ धार्मिक एवं सामुदायिक मुद्दों के राजनीतिक विमर्श के प्रमुख मंच हैं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, समान नागरिकता, कानून-व्यवस्था और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं। अध्ययन में यह देखा जाएगा कि इन मुद्दों को विभिन्न दल किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं और उनका संबंध व्यापक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार बनता है।

2. निर्वाचन आयोग की भूमिका

निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। आदर्श आचार संहिता स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट माँगने तथा समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली चुनावी गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के अंतर्गत धर्म, जाति, समुदाय आदि के आधार पर चुनावी अपील को भ्रष्ट आचरण के रूप में नियंत्रित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने *Abhiram Singh v. C.D. Commachen* में इस प्रावधान की व्यापक व्याख्या की।

3. न्यायपालिका की भूमिका

न्यायपालिका संविधान में निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्याख्या करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। चुनावी राजनीति में धार्मिक अपील के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और चुनावी प्रक्रिया दो अलग

संवैधानिक क्षेत्र हैं; व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को चुनावी प्रक्रिया में धार्मिक आधार पर मत माँगने के अधिकार के समान नहीं माना जा सकता।

4. कानून-व्यवस्था एवं प्रशासन

साम्प्रदायिक तनाव या हिंसा की स्थिति में पुलिस और प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ निष्पक्ष कानून-व्यवस्था, प्राथमिकी का पंजीकरण, जांच, अभियोजन और पीड़ितों की सुरक्षा जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, NCRB के आँकड़ों को पढ़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे पंजीकृत मामलों पर आधारित हैं; अतः दर्ज मामलों की संख्या को साम्प्रदायिक घटनाओं की वास्तविक कुल संख्या का पूर्ण पर्याय नहीं माना जा सकता।

5. मीडिया और नागरिक समाज

मीडिया साम्प्रदायिक घटनाओं और राजनीतिक वक्तव्यों को सार्वजनिक विमर्श में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समाज संगठन भी शांति, मानवाधिकार, तथ्य-जांच और सामुदायिक संवाद के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए शोध में मुख्यधारा मीडिया, डिजिटल मीडिया और नागरिक समाज की भूमिकाओं को अलग-अलग विश्लेषित करना आवश्यक होगा, क्योंकि इनके स्रोत, उद्देश्य और सूचना-संग्रह की पद्धतियाँ समान नहीं होतीं।

6. लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व एवं राजनीतिक स्थिरता

साम्प्रदायिकता का लोकतंत्र पर प्रभाव केवल हिंसा की घटनाओं तक सीमित नहीं है। धार्मिक आधार पर राजनीतिक धुँवीकरण समान नागरिकता, राजनीतिक विश्वास, चुनावी प्रतिस्पर्धा और विभिन्न समुदायों के बीच लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। अतः इस शोध का अंतिम विश्लेषण इस बात पर केंद्रित होगा कि भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएँ धार्मिक विविधता को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में किस प्रकार समाहित करती हैं तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौरान साम्प्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने में उनकी क्या भूमिका रहती है।

वास्तविक आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण 2011 की जनगणना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के अभिलेखों तथा संबंधित न्यायिक निर्णयों के आधार पर किया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि साम्प्रदायिकता को केवल धार्मिक जनसंख्या अथवा साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। इसके राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए धार्मिक संरचना, चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक लामबंदी, साम्प्रदायिक घटनाओं तथा संस्थागत प्रतिक्रियाओं को एक साथ देखा जाना आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दू आबादी 79.8 प्रतिशत, मुस्लिम 14.2 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिख 1.7 प्रतिशत, बौद्ध 0.7 प्रतिशत और जैन 0.4 प्रतिशत थी। इससे भारतीय समाज की बहुधार्मिक संरचना स्पष्ट होती है, लेकिन अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि धार्मिक विविधता अपने आप में साम्प्रदायिकता का संकेतक नहीं है। साम्प्रदायिकता का राजनीतिक महत्व तब सामने आता है जब धार्मिक पहचान राजनीतिक हितों, प्रतिनिधित्व और लामबंदी से जुड़ जाती है।

NCRB के उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से साम्प्रदायिक/धार्मिक दंगों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन दिखाई दिया। उदाहरण के लिए, 2019 में 438, 2020 में 857, 2021 में 378 तथा 2022 में 272 मामले दर्ज किए गए। इन आँकड़ों से यह तथ्य सामने आया कि साम्प्रदायिक घटनाएँ एक समान प्रवृत्ति में नहीं रहीं, बल्कि विभिन्न वर्षों में उनमें उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव हुआ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इन आँकड़ों को सीधे राजनीतिक साम्प्रदायिकता का मापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या सामाजिक, प्रशासनिक और रिपोर्टिंग संबंधी परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है।

चुनावी राजनीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक पहचान भारतीय चुनावी विमर्श का एक महत्वपूर्ण पक्ष रही है। निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को धर्म अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर मत माँगने तथा विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से रोकती है। इससे यह स्थापित होता है कि भारतीय चुनावी व्यवस्था में धार्मिक पहचान के राजनीतिक उपयोग को केवल राजनीतिक व्यवहार के रूप में नहीं, बल्कि **निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन की संवैधानिक आवश्यकता** के संदर्भ में भी देखा गया है।

समग्र आँकड़ा-विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि साम्प्रदायिकता की राजनीतिक प्रकृति को समझने के लिए केवल घटनाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। **धार्मिक जनसंख्या की संरचना, चुनावी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक भाषण, सामाजिक लामबंदी, साम्प्रदायिक घटनाएँ और राज्य की संस्थागत प्रतिक्रिया** को परस्पर संदर्भित करने पर ही इसके आधुनिक राजनीतिक स्वरूप की अधिक संतुलित व्याख्या संभव होती है।

साम्प्रदायिकता के राजनीतिक प्रभाव

अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रभाव बहुआयामी है। इसका प्रभाव केवल साम्प्रदायिक हिंसा तक सीमित नहीं पाया गया, बल्कि **चुनावी लामबंदी, राजनीतिक धुवीकरण, सामाजिक संबंधों, लोकतांत्रिक विमर्श तथा संस्थागत विश्वसनीयता** जैसे क्षेत्रों में भी इसके राजनीतिक आयाम दिखाई दिए।

1. राजनीतिक धुवीकरण

अध्ययन से पाया गया कि धार्मिक पहचान के राजनीतिकरण की स्थिति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा सामुदायिक पहचान के आधार पर संगठित हो सकता है। चुनावी भाषणों, प्रचार और राजनीतिक मुद्दों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक पहचान कई अवसरों पर व्यापक राजनीतिक लामबंदी का आधार बनी। हालांकि किसी चुनाव के परिणाम को केवल साम्प्रदायिक धुवीकरण का परिणाम मानना उचित नहीं पाया गया, क्योंकि मतदान व्यवहार पर आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों का भी प्रभाव रहता है।

2. चुनावी व्यवहार एवं राजनीतिक लामबंदी

अध्ययन में पाया गया कि धार्मिक पहचान राजनीतिक दलों के सामाजिक गठबंधन और मतदाता लामबंदी की रणनीतियों में एक कारक के रूप में उपस्थित रही। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग-अलग चुनावों में धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े मुद्दों को अपने राजनीतिक विमर्श में स्थान

दिया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भारतीय चुनावी राजनीति को समझने के लिए धार्मिक पहचान को अन्य सामाजिक-राजनीतिक कारकों के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है।

3. सामाजिक विश्वास एवं सामुदायिक संबंध

NCRB के साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित आँकड़ों के विश्लेषण से यह सामने आया कि साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएँ विभिन्न वर्षों और राज्यों में अलग-अलग स्तर पर दर्ज हुईं। इन घटनाओं का प्रभाव केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समुदायों के बीच सामाजिक विश्वास और राजनीतिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। तथापि, उपलब्ध अपराध आँकड़े सामाजिक विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापते; इसलिए इस संबंध में कारणात्मक निष्कर्ष निकालने के बजाय घटनाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ में देखा गया।

4. लोकतांत्रिक विमर्श में परिवर्तन

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि साम्प्रदायिक मुद्दों की राजनीतिक उपस्थिति ने लोकतांत्रिक विमर्श की विषय-वस्तु और भाषा को प्रभावित किया है। धार्मिक पहचान से संबंधित प्रश्न चुनावी भाषणों, समाचार माध्यमों तथा डिजिटल राजनीतिक संचार में दिखाई दिए। दूसरी ओर, 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर 65.79 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो व्यापक राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। अतः अध्ययन से यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि साम्प्रदायिकता की उपस्थिति अपने आप लोकतांत्रिक भागीदारी को समाप्त करती है; दोनों प्रक्रियाओं के बीच संबंध अधिक जटिल पाया गया।

5. धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव

अध्ययन से पाया गया कि साम्प्रदायिक राजनीति और भारतीय संविधान में निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्मनिरपेक्षता के बीच निरंतर राजनीतिक तनाव का क्षेत्र मौजूद है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि चुनावी कानून एवं आदर्श आचार संहिता धार्मिक आधार पर मत माँगने जैसी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था ने धार्मिक स्वतंत्रता और चुनावी निष्पक्षता के बीच संवैधानिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

6. राज्य की निष्पक्षता एवं संस्थागत विश्वसनीयता

अध्ययन में यह पाया गया कि साम्प्रदायिक तनाव की परिस्थितियों में राज्य की निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस-प्रशासन द्वारा कानून का समान अनुप्रयोग, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी नियमों का निष्पक्ष प्रवर्तन तथा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थागत विश्वास के प्रमुख आधार हैं। इसलिए साम्प्रदायिकता का राजनीतिक प्रभाव केवल राजनीतिक दलों के व्यवहार से निर्धारित नहीं होता, बल्कि राज्य संस्थाओं की प्रतिक्रिया भी उसके परिणामों को प्रभावित करती है।

7. सामाजिक मीडिया और राजनीतिक धुवीकरण

अध्ययन के डिजिटल राजनीतिक संचार संबंधी विश्लेषण से यह सामने आया कि सोशल मीडिया ने धार्मिक एवं राजनीतिक संदेशों के प्रसार की गति और पहुँच को काफी बढ़ाया है। इसके माध्यम से

राजनीतिक भागीदारी और सूचना का विस्तार हुआ, लेकिन साथ ही भ्रामक अथवा संदर्भ-विहीन सामग्री के तेजी से प्रसार की चुनौती भी सामने आई। इसलिए सोशल मीडिया को साम्प्रदायिकता का प्रत्यक्ष कारण मानने के बजाय उसे राजनीतिक संदेशों और पहचान-आधारित लामबंदी के प्रसार के माध्यम के रूप में समझना अधिक उपयुक्त पाया गया।

समग्र अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया कि आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता एक बहुआयामी राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इसका संबंध धार्मिक पहचान से आरंभ होकर राजनीतिक लामबंदी, चुनावी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक धुवीकरण और सामाजिक संबंधों तक विस्तृत होता है तथा इसके परिणामों को राज्य की संवैधानिक एवं संस्थागत प्रतिक्रिया प्रभावित करती है। उपलब्ध आँकड़ों से साम्प्रदायिक घटनाओं की उपस्थिति प्रमाणित होती है, लेकिन उन घटनाओं को सीधे किसी एक राजनीतिक दल, चुनाव या समुदाय के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम मानना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं पाया गया।

इस प्रकार शोध से यह स्थापित हुआ कि भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता को समझने के लिए “धार्मिक पहचान → राजनीतिकरण → लामबंदी → धुवीकरण → सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव → संस्थागत प्रतिक्रिया” की समग्र प्रक्रिया को ध्यान में रखना अधिक उपयुक्त है। यही प्रक्रिया आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में साम्प्रदायिकता के राजनीतिक स्वरूप को समझने का प्रमुख विश्लेषणात्मक आधार बनी।

16. शोध की सीमाएँ

शोध की सीमाएँ

1. प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः जनगणना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), निर्वाचन आयोग, सरकारी रिपोर्टों, न्यायिक निर्णयों तथा अन्य विश्वसनीय प्रकाशित स्रोतों में उपलब्ध आँकड़ों और सूचनाओं पर आधारित रहा है। अतः विश्लेषण की सीमा उपलब्ध एवं सत्यापन योग्य द्वितीयक सामग्री तक रही है।
2. अध्ययन में साम्प्रदायिकता को किसी एक धर्म, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समूह की विशेषता के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे धार्मिक पहचान के राजनीतिकरण तथा उससे उत्पन्न राजनीतिक लामबंदी और धुवीकरण की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया गया है।
3. प्रत्येक साम्प्रदायिक घटना को स्वतः राजनीतिक घटना नहीं माना गया है। किसी घटना के राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण उसके संदर्भ, राजनीतिक अभिकर्ताओं की भूमिका, राजनीतिक लामबंदी तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किया गया है।
4. राजनीतिक दलों के संबंध में प्रस्तुत निष्कर्ष उनके आधिकारिक दस्तावेजों, घोषणापत्रों, नीतिगत वक्तव्यों, सार्वजनिक भाषणों तथा उपलब्ध प्रमाणित अभिलेखों के विश्लेषण पर आधारित रहे हैं। अतः केवल आरोपों, अपुष्ट सूचनाओं अथवा सामान्य धारणाओं को शोध के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।
5. उपलब्ध सांख्यिकीय स्रोतों में प्रयुक्त परिभाषाओं, वर्गीकरणों और रिपोर्टिंग पद्धतियों में अंतर होने के कारण विभिन्न आँकड़ों को सीधे एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना गया है। विशेष रूप से दर्ज साम्प्रदायिक घटनाओं के आँकड़ों को साम्प्रदायिकता की सम्पूर्ण सामाजिक या राजनीतिक व्यापकता का प्रत्यक्ष माप नहीं माना गया है।

6. अध्ययन का प्रमुख केंद्र भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का राजनीतिक स्वरूप, उसके प्रभाव तथा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं के साथ उसका संबंध रहा है। इसलिए साम्प्रदायिकता के सभी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों का विस्तृत अध्ययन इस शोध की सीमा से बाहर रहा है।

17. अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों, शोध-प्रश्नों, प्राक्कल्पना तथा उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि आधुनिक भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता को केवल धार्मिक विविधता या साम्प्रदायिक हिंसा के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। 2011 की जनगणना भारत की व्यापक धार्मिक विविधता को दर्शाती है, जबकि राजनीतिक साम्प्रदायिकता मुख्यतः धार्मिक पहचान के राजनीतिकरण, चुनावी लामबंदी और धुवीकरण की प्रक्रियाओं से संबंधित है।

अध्ययन से निम्न प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. **साम्प्रदायिकता के बदलते राजनीतिक स्वरूप की पहचान** – अध्ययन में पाया गया कि साम्प्रदायिक राजनीति का स्वरूप केवल प्रत्यक्ष साम्प्रदायिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी भाषण, राजनीतिक मुद्दों, पहचान-आधारित लामबंदी तथा डिजिटल माध्यमों के राजनीतिक उपयोग तक विस्तृत हुआ है।
2. **चुनावी राजनीति और धार्मिक पहचान** – विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक पहचान कुछ परिस्थितियों में राजनीतिक लामबंदी का आधार बन सकती है, किंतु उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर किसी चुनावी परिणाम को केवल धार्मिक पहचान या साम्प्रदायिकता का परिणाम नहीं माना जा सकता। निर्वाचन आयोग का आदर्श आचार संहिता धार्मिक एवं साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट माँगने तथा समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर स्पष्ट प्रतिबंधात्मक निर्देश देती है।
3. **राजनीतिक धुवीकरण का तथ्यात्मक परीक्षण** – NCRB के अनुसार साम्प्रदायिक/धार्मिक दंगों के दर्ज मामले 2019 में 438, 2020 में 857 और 2021 में 378 रहे; 2022 में यह संख्या 272 दर्ज हुई। इससे वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन इन आँकड़ों को सीधे राजनीतिक साम्प्रदायिकता का माप नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पुलिस में दर्ज मामलों को दर्शाते हैं।
4. **प्राक्कल्पना का परीक्षण** – अध्ययन की प्राक्कल्पना कि *“आधुनिक भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण चुनावी लामबंदी एवं राजनीतिक धुवीकरण को प्रभावित करता है”* को उपलब्ध दस्तावेजी एवं सांख्यिकीय सामग्री से **समर्थन प्राप्त हुआ**, लेकिन यह संबंध सभी चुनावों, क्षेत्रों और परिस्थितियों में समान रूप से प्रभावी है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सामाजिक, जातीय, आर्थिक, क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीतिक कारकों की भी भूमिका बनी रहती है।
5. **संवैधानिक एवं निर्वाचन संस्थाओं की भूमिका** – अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि संविधान समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। निर्वाचन व्यवस्था में

भी धार्मिक आधार पर चुनावी अपील को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक एवं आचार-संहिता संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं।

6. **लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष चुनौती** – साम्प्रदायिक धुवीकरण की स्थिति में समान नागरिकता, राजनीतिक सह-अस्तित्व, सामाजिक विश्वास तथा निष्पक्ष संस्थागत कार्यप्रणाली पर दबाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए साम्प्रदायिकता का प्रभाव केवल चुनावी राजनीति तक सीमित न मानकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक संवाद के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है।

इस प्रकार, शोध के समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि **भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता एक बहुआयामी राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण, चुनावी लामबंदी, धुवीकरण और संस्थागत प्रतिक्रिया परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं।**

18. सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. **निर्वाचन कानून एवं आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन** सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से धर्म या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर मत माँगने तथा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने वाली चुनावी गतिविधियों पर समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।
2. **राजनीतिक दलों के चुनावी संवाद** में नीतिगत मुद्दों, विकास, शासन और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने तथा धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजनकारी अपील से बचने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. **साम्प्रदायिक घटनाओं से संबंधित आधिकारिक आँकड़ों की पारदर्शिता** बढ़ाई जानी चाहिए। NCRB स्वयं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त आँकड़ों पर निर्भर करता है; इसलिए आँकड़ों के स्रोत, परिभाषा और रिपोर्टिंग पद्धति को स्पष्ट रखना शोध एवं सार्वजनिक विमर्श दोनों के लिए आवश्यक है।
4. **डिजिटल नागरिक जागरूकता** को मजबूत किया जाए, ताकि नागरिक साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गलत या भ्रामक सूचनाओं की पहचान कर सकें और अपुष्ट सामग्री को साझा करने से बचें।
5. **संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक नागरिकता** को नागरिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा सार्वजनिक संवाद के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए। समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, विधि का शासन और परस्पर सम्मान को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के आधार के रूप में विकसित करना आवश्यक है।
6. अंततः, साम्प्रदायिकता के अध्ययन और नीति-निर्माण में **किसी एक धर्म या समुदाय को समस्या के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थागत व्यवहार और प्रमाणित घटनाओं पर केंद्रित निष्पक्ष विश्लेषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**

20. संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत सरकार। (1950)। *भारत का संविधान*। विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. भारत सरकार। (1976)। *बयालीसवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976*। विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।

3. भारत निर्वाचन आयोग। (2024)। *निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श आचार संहिता*। भारत निर्वाचन आयोग।
4. भारत निर्वाचन आयोग। (2026)। *निर्वाचन संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न*। भारत निर्वाचन आयोग।
5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2022)। *भारत में अपराध 2022*। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।
6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2022)। *साम्प्रदायिक/धार्मिक दंगों से संबंधित संसदीय प्रश्न के उत्तर में उपलब्ध आधिकारिक आँकड़े*। गृह मंत्रालय।
7. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय। (1951)। *जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951*। विधायी विभाग।
8. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय। (2019)। *भारत का संविधान: अद्यतन पाठ*। विधायी विभाग।
9. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। *जनगणना 2011: भारत में धार्मिक समुदाय के अनुसार जनसंख्या-तालिका C-01*। भारत सरकार।
10. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011)। *जनगणना 2011: धर्म के अनुसार प्राथमिक जनगणना सारणी (PCA-REL)*। भारत सरकार।
11. आहूजा, राम। (1992)। *भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएँ*। रावत पब्लिकेशन्स।
12. बनू, ज़ेनब। (1989)। *पॉलिटिक्स ऑफ कम्यूनलिज़्म*। पॉपुलर प्रकाशन।
13. चन्द्र, बिपिन। (1984)। *कम्यूनलिज़्म इन मॉडर्न इंडिया*। विकास पब्लिशिंग हाउस।
14. ब्रास, पॉल आर. (2003)। *द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू-मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
15. बर्जरशॉट, वार्ड। (2011)। *रायट पॉलिटिक्स: हिंदू-मुस्लिम वायलेंस एंड द इंडियन स्टेट*। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
16. जाफ़ेलो, क्रिस्टोफ। (1996)। *द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स*। हर्स्ट एंड कंपनी।
17. पांडे, जानेंद्र। (1992)। *द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूनलिज़्म इन कोलोनियल नॉर्थ इंडिया*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
18. पांडे, जानेंद्र। (2006)। *द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्यूनलिज़्म इन कोलोनियल नॉर्थ इंडिया* (द्वितीय संस्करण)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
19. पांडे, जानेंद्र। (2001)। *रिमेम्बरिंग पार्टीशन: वायलेंस, नेशनलिज़्म एंड हिस्ट्री इन इंडिया*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
20. पनिककर, के. एन. (1994)। *कम्यूनलिज़्म इन इंडिया: ए पर्सपेक्टिव फॉर इंटरवेंशन*। पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
21. भार्गव, राजीव। (संपा.)। (1998)। *सेक्युलरिज़्म एंड इट्स क्रिटिक्स*। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
22. इंजीनियर, असगर अली। (1989)। *कम्यूनलिज़्म एंड कम्यूनल वायलेंस इन इंडिया*। अजंता पब्लिकेशन्स।
23. भारत निर्वाचन आयोग। (2024)। *लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024: सांख्यिकीय रिपोर्ट*। भारत निर्वाचन आयोग।
24. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (2023)। *क्राइम इन इंडिया 2022*। गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
25. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2021)। *भारत में अपराध से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की सांख्यिकीय रिपोर्टें*। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो।



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

RESEARCH
GATEWAY

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



AROGYAM
ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

परिवर्तन

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



BLUE

Calms your Child's
Mind & Body

YELLOW

Promotes Concentration,
Stimulates the Memory

PINK

Evokes Empathy,
makes your Child Calm

RED

Excites and energizes
your Child's body

GREEN

Improves Reading speed
and Comprehension

www.parivartan4u.com



परिवर्तन

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE